an>

title: Need to solve the problems faced by STs migrating to Maharashtra from Madhya Pradesh in obtaining ST certificates.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित सतपुड़ा पर्वत है जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा से लगता है। भिल्लाला, बारेला, पाऊरा एवं मौताला ताल्लुका के नाइकड़ा समाज के जनजाति के लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं। ये लोग जंगलों में रह कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए जनजाति के लोगों का एवं उनके बच्चों का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनसे 35 साल पुराना रिहायशी सबूत मांगा जाता है। जंगल में रहने की वजह से और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आने की वजह से उनके पास 35 साल रहने का रिकार्ड नहीं है। इसी वजह से लोगों को जनजाति का प्रमाण-पत्र नहीं मिल पा रहा है। इस जनजाति के बहुत से बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उन्होंने अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की है लेकिन यह प्रमाण-पत्र न मिलने की वजह से इन्हें प्रशासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये जंगल में रहने वाले लोग हैं।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र की सीमा में मध्य प्रदेश से आए आदिवासी लोगों को एवं मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा के मौताला तहसील के जंगलों में बसे नाइकड़ा समाज के लोगों को जनजाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया में 35 साल पुराने सबूत को देने की शर्तों में ढील दी जाए जिससे कि इस वर्ग के लोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

माननीय अध्यक्ष :

श्री सी.पी. जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री अरविंद सावंत और

श्री श्रीरंग बारणे को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपके एडजोर्नमेंट मोशन का इश्यू है, यह डिस्कस भी हो चुका है। You want to raise the same issue every now and then. That is why, I have disallowed it.

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय नियम 193 के अंतर्गत डिस्कस हो चुका है।

â€¦(व्यवधान)